


1. अधिकारी / कर्मचारी का पूरा नाम श्रीमति कीर्ति चौहान
2. उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो 3. वर्तमान धारित पद प्रभारी उप-सुबत
4. वर्तमान वेतन 418221
5. आगामी वेतनवृद्धि की जारीख

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा व्योरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बताइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की गई हो उसका नाम तथा व्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियु
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8
Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil

1- जहाँ लागू न हो काट दीजिए।
 2- ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लागू मूल्य वतनाया जाए।
 3- इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : यह शासकीय सेवाक (आवरण) नियम, 1969 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के परवात यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करे और उसमें यह उल्लेख किया जाए कि वह उसकी द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के बतौर है।

हस्ताक्षर: 
 पदनाम: उप-सुबत
 नाम: श्रीमति कीर्ति चौहान
 मो.नं. 7223054986